Airo International Research Journal
Volume XII, ISSN: 2320-3714
July, 2017
Impact Factor 0.75 to 3.19
UGC Approval Number 63012

भारत की साम्प्रदायिक राजनीति और डॉ अम्बेडकर ।

डॉ पूर्णेन्दु प्रकाश
+२ शिक्षक इतिहास पी जी कन्या उच्चतर माध्यमिक
+२ विद्यालय मोतीहारी पूर्वी चंपारण बिहार

सार

भारतीय इतिहास का दैदिप्यमान नक्षत्र, ज्ञान के पर्याय, मानवता के समर्थक, समतावादी, सत्य के सजग प्रहरी, समाज में पिछड़ों, दलित, शोषित तथा मजदूरो के सच्चा हितैषी, भारत का संविधान निर्माता, कोमल ह्रदय सम्राट तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी, समाजसेवक, बाबा गुरुघासीदास जी के विचार मानव–मानव एक समान एवं सादा जीवन उच्च विचार को अपना आदर्श बनाने वाला, भारत–रत्न बाबा साहब डा भीमराव अम्बेडकर जी का विचार आज के समसामयिक संदर्भ में अक्षरशः प्रासंगिक है। तथाकथित ज्ञानी समुदाय, उच्चवर्ग द्वारा समाज को ज्ञान–दासता के भॅवरजाल में उलझाकर रखनेवालों को सद्मार्ग सुझाकर अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया। विकास के पुरोधा डॉ अम्बेडकर ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सॉस्कृतिक आदि समता के लिए हमेशा समाज में गरीब, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी तथा निम्न स्तरीय जीवनयापन करने वालों के प्रति भारत का संविधान निर्माण करते समय ध्यान रख आरक्षित किया। जिससे व्यक्ति को समान व सर्वांगीण विकास के लिए अवसर मिल सके तथा अहिंसा, सेवा, त्याग, समर्पण का संदेश देते हुए कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके लिए जागना होगा, जिससे सदियों के गुलामगिरी से मुक्ति मिल सके। वर्ग, रंग, वंश, सम्प्रदाय, धर्मगत– जाति–पाति, छुआछूत, उॅच–नीच, भेदभाव को इसमें बाधक मानते हुए शिक्षा ज्ञान को विकास के लिए सार्थक व अनिवार्य आधार बताया। जिससे सबका विकास, सबके साथ हो सके। संभवतः इसीलिए जीवन के अंतिम पड़ाव में जरुरतम ंदों को सही दिशा–निर्देश के लिए बुध्द हो, आकाशदीप की भॉति प्रकाश–स्तंभ बन आलाेकित करता रहा है।

परिचय

आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था।ख्12, वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की

१४ वीं व अंतिम संतान थे।ख्13, उनका परिवार कबीर पंथ को माननेवाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गाँव का निवासी था।ख्14, वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था।ख्15, भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल, भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुये वे सुबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी।

अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेका प्रकार की कठनाइयों का सामना करना पड़ता था। रामजी आम्बेडकर ने सन 1898 में जिजाबाई से पुनर्विवाह कर लिया। 7 नवम्बर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्न्मेण्ट हाइस्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आंबडवेकर दर्ज कराया। भिवा उनके बचपन का नाम था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबडवेकर लिख वाया था, जो कि उनके आंबडवे गाँव से संबंधित था। क्योंकी कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गाँव के नाम से रखते थे, अतः आम्बेडकर के आंबडवे गाँव से आंबडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आंबडवेकरश् हटाकर अपना सरल श्आंबेडकरश् उपनाम जोड़ दिया।ख्17, तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं।

रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई (अब मुंबई) चले आये। अप्रैल 1906 में, जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो नौ साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे पांचवी अंग्रेजी कक्षा पढ रहे थे।ख्18, उन दिनों भारत में बाल–विवाह का प्रचलन था।

डॉ। आंबेडकर दलित राजनीति के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सब से पहले दलितों के लिए राजनैतिक अधिकारों की लडाई लड़ी थी। उन्होंने ही भारत के भावी संविधान के निर्माण के सम्बन्ध में लन्दन में 1930–32 में हुए गोलमेज सम्मलेन में दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता दिलाई थी और अन्य अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग अधिकार दिए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था। 1932 में जब ”कम्युनल अवार्ड” के अंतर्गत दलितों को भी अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अलग मताधिकार मिला तो गाँधी जी ने उस के विरोध में यह कहते हुए कि इस से हिन्दू समाज टूट जायेगा, आमरण

अनशन की धमकी दे डाली जब कि उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंत में अनुचित दबाव में मजबूर होकर डॉ। आंबेडकर को गांधी जी की जान बचाने के लिए "पूना पैक्ट" करना पड़ा और दलितों के राजनैतिक स्वतंत्रता के अधिकार की बलि देनी पड़ी तथा संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्वीकार करनी पड़ीं।

गोलमेज कांफ्रेंस में लिए गए निर्णय के अनुसार नया कानून "गवर्नमेंट आफ इंडिया 1935 एक्ट" 1936 में लागू हुआ। इस के अंतर्गत 1937 में पहला चुनाव कराने की घोषणा की गयी। इस चुनाव में भाग लेने के लिए डॉ। आंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (स्वतंत्र मजदूर पार्टी) की स्थापना की और बम्बई प्रेजीडैन्सी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीतीं। इस के बाद उन्होंने 19 जुलाई, 1942 को आल इंडिया शैडयूल्ड कास्टस फेडरेशन बनायी। इस पार्टी से उन्होंने 1946 और 1952 में चुनाव लड़े परन्तु इस में पूना पैकट के दुशप्रभाव के कारण उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप 1952 और 1954 के चुनाव में डॉ। आंबेडकर स्वयं हार गए। अंत में उन्होंने 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर में आल इंडिया शैडयूल्ड कास्टस फेडरेशन को भंग करके रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआई) नाम से नयी पार्टी बनाने की घोषणा की। इस के लिए उन्होंने इस पार्टी का संविधान भी बनाया। वास्तव में यह पार्टी उन के परिनिर्वाण के बाद 3 अक्तूबर, 1957 को अस्तित्व में आई। इस विवरण के अनुसार बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में तीन राजनैतिक पार्टियाँ बनायीं। इन में से वर्तमान में आरपीआई अलग अलग गुटों के रूप में मौजूद है।

वर्तमान संद्धर्भ में यह देखना जरूरी है कि बाबा साहेब ने जिन राजनैतिक पार्टियों के माध्यम से राजनीति की क्या वह जाति की राजनीति थी या विभिन्न वर्गों के मुद्दों की राजनीति थी। इस के लिए उन द्वारा स्थापित पार्टियों के एजंडा का विश्लेषण जरूरी है आइए सब से पहले बाबा साहेब की स्वतंत्र मजदूर पार्टी को देखें। डॉ। आंबेडकर ने अपने ब्यान में पार्टी के बनाने के कारणों और उसके काम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था– "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज पार्टियों को सम्प्रदाय के आधार पर संगठित करने का समय नहीं है, मैंने अपने मित्रों की इच्छाओं से सहमति रखते हुए पार्टी का नाम तथा इस के प्रोग्राम को विशाल बना दिया है ताकि अन्य वर्ग के लोगों के साथ राजनीतिक सहयोग संभव हो सके। पार्टी का मुख्य केंद्रबिंदु तो दलित जातियों के 15 सदस्य ही रहेंगे परन्तु अन्य वर्ग के लोग भी पार्टी में शामिल हो सकेंगे।"

पार्टी के मैनीफिस्टो में भूमिहीन, गरीब किसानों और पट्टेदारों और मजदूरों की जरूरतों और समस्याओं का निवारण, पुराने उद्योगों की पुनर्स्थापना और नए उद्योगों की स्थापना, छोटी जोतों की चकबंदी, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, भूमि के पट्टेदारों का जमीदारों द्वारा शोषण और बेदखली, औद्योगिक मजदूरों के संरक्षण के लिए कानून, सभी प्रकार की कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावाद को दण्डित करने, दान में मिले पैसे से शिक्षा प्रसार, गाँव के नजरिये को आधुनिक बनाने के लिए सफाई और मकानों का नियोजन और गाँव के लिए हाल, पुस्तकालय और सिनेमा घर आदि का प्रावधान करना था।

पार्टी ने मुख्यतया किसानों और गरीब मजदूरों के कल्याण पर बल दिया था। पार्टी की कोशिश लोगों को लोकतंत्र के तरीकों से शिक्षित करना, उन के सामने सही विचारधारा रखना और उन्हें कानून द्वारा राजनीतिक कार्रवाही के लिए संगठित करना आदि थी। इस से स्पष्ट है इस पार्टी की राजनीति जातिवादी न होकर वर्ग और मुद्दा आधारित थी और इस के केंद्र में मुख्यतया दलित थे। यह पार्टी बम्बई विधान सभा में सत्ताधारी कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी। इस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत जनोपयोगी कानून बनवाये थे। इस पार्टी के विरोध के कारण ही फैक्टरियों में हड़ताल पर रोक लगाने सम्बन्धी औद्योगिक विवाद बिल पास नहीं हो सका था।

अब बाबा साहेब द्वारा स्थापित 1942 में स्थापित आल इंडिया शैडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उद्देश्य और एजंडा को देखा जाये। डॉ। आंबेडकर ने इसे सत्ताधारी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच संतुलन बनाने के लिए तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की बात कही थी।

पार्टी के मैनिफिस्टो में कुछ मुख्य मुद्दे थेरू सभी भारतीय समानता के अधिकारी हैं, सभी भारतियों के लिए धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता की पक्षधरताय सभी भारतियों को अभाव और भय से मुक्त रखना राज्य की जिम्मेवारी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संरक्षणय आदमी का आदमी द्वारा, वर्ग का वर्ग द्वारा तथा राष्ट्र का राष्ट्र द्वारा उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति और सरकार की संसदीय व्यवस्था का संरक्षण, आर्थिक प्रोग्राम के अंतर्गत बीमा का राष्ट्रीयकरण और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना और नशेबंदी का निषेध था। यद्यपि यह पार्टी पूना पैक्ट के कारण शक्तिशाली कांग्रेस के सामने चुनाव में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी परन्तु पार्टी के एजंडे और जन आंदोलन जैसे भूमि आन्दोलन आदि के कारण अछूत एक राजनीतिक झंडे के तल्ले जमा होने लगे जिस

से उन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फेडरेशन के प्रोग्राम से स्पष्ट है कि यदपि इस पार्टी के केंद्र में दलित थे परन्तु पार्टी जाति की राजनीति की जगह मुद्दों पर राजनीति करती थी और का फलक व्यापक था।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबा साहेब ने बदलती परिस्थितियों और लोगों की जरुरत को ध्यान में रख कर एक नयी राजनीतिक पार्टी "रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया" की स्थापना की घोषणा 14 अक्तूबर, 1956 को की थी और इस का संविधान भी उन्होंने ही बनाया था। इस पार्टी को बनाने के पीछे उन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पार्टी बनाना था जो संविधान में किये गए वादों के अनुसार हो और उन्हें पूरा करना उस का उद्देश्य हो। वे इसे केवल अछूतों की पार्टी नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि एक जाति या वर्ग के नाम पर बनायी गयी पार्टी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। वह केवल दबाव डालने वाला ग्रुप ही बन सकती है। आरपीआई की स्थापना के पीछे मुख्य ध्येय थेरू (1)समाज व्यवस्था से विषमतायें हटाई जाएँ ताकि कोई विशेषाधिकार प्राप्त तथा वंचित वर्ग न रहे, (2) दो पार्टी सिस्टम हो एक सत्ता में दूसरा विरोधी पक्ष, (3) कानून के सामने समानता और सब के लिए एक जैसा कानून हो, (4) समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, (5) अल्पसंख्यक लोगों के साथ सामान व्यवहार, (6) मानवता की भावना जिस का भारतीय समाज में अभाव रहा है।

पार्टी के संविधान की प्रस्तावना में पार्टी का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य " न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता" को प्राप्त करना था। पार्टी का कार्यक्रम बहुत व्यापक था। पार्टी की स्थापना के पीछे बाबा साहेब का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक लोग, गरीब मुस्लिम, गरीब ईसाई, गरीब तथा निचली जाति के सिक्ख तथा कमजोर वर्ग के अछूत, पिछड़ी जातियों के लोग, आदिम जातियों के लोग, शोषण का अंत, न्याय और प्रगति चाहने वाले सभी लोग एक झंडे के तल्ले संगठित हो सकें और पूंजीपतियों के मुकाबले में खड़े होकर संविधान तथा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

(दलित राजनीति और संगठन दृ भगवान दास)

आरपीआई की विधिवत स्थापना बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद 1957 में हुयी और पार्टी ने नए एजंडे के साथ 1957 व 1962 का चुनाव लड़ा। पार्टी को महाराष्ट्र के इलावा देश के अन्य हिस्सों में भी अच्छी सफलता मिली। शुरू में पार्टी ने जमीन के बंटवारे, नौकरियों में आरक्षण, न्यूनतम मजदूरी, दलितों से बौद्ध बने लोगों लिए आरक्षण आदि के लिए संघर्ष किया। पार्टी में मुसलमान, सिक्ख और जैन आदि धर्मों के लोग शामिल हुए। उनमें पंजाब के जनरल राजिंदर

सिंह स्पैरो, दिल्ली में डॉ। अब्बास मलिक, उत्तर प्रदेश में राहत मोलाई, डॉ। छेदी लाल साथी, नासिर अहमद, बंगाल में श्री एस। एच। घोष आदि प्रसिद्ध व्यक्ति और कार्यकर्ता हुए। 1964 में 6 दिसंबर से फरवरी 1965 तक पार्टी ने स्वतंत्र भारत में जमीन के मुद्दे को लेकर पहला जेल भरो आन्दोलन चलाया जिस में तीन लाख से अधिक दलित जेल गए। सरकार को मजबूर हो कर भूमि आबंटन और कुछ अन्य मांगें माननी पड़ीं।

इस दौर में आरपीआई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। परन्तु 1962 के बाद यह पार्टी टूटने लगी। इस का मुख्य कारण था कि इस पार्टी से उस समय की सब से मजबूत राजनैतिक पार्टी कांग्रेस को महाराष्ट्र में खतरा पैदा हो रहा था। इस पार्टी की एक बड़ी कमजोरी थी कि इसकी सदस्यता केवल महारों तक ही सीमित थी। कांग्रेस के नेताओं ने इस पार्टी के नेताओं की कमजोरियों का फायदा उठा कर पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सब से पहले उन्होंने पार्टी के सब से शक्तिशाली नेता दादा साहेब गायकवाड़ को पटाया और उन्हें राज्य सभा का सदस्य बना दिया। इस पर पार्टी दो गुटों में बंट गयीरू गायकवाड़ का एक गुट कांग्रेस के साथ और दूसरा बी।डी। खोब्रागडे गुट विरोध में। इस के बाद अलग नेताओं के नाम पर अलग गुट बनते गए और वर्तमान में यह कई गुटों में बंट कर बेअसर हो चुकी है। इन गुटों के नेता रिपब्लिकन नाम का इस्तेमाल तो करते हैं परन्तु उन का इस पार्टी के मूल एजंडे से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे अपने अपने फायदे के लिए अलग पार्टियों से समझौते करते हैं और यदाकदा लाभ भी उठाते हैं।

आरपीआई के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नाम से एक पार्टी उभरी जिस ने बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने का वादा किया। शुरू में इस पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में 1993 में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ मिल कर चुनाव लड़ने से इस पार्टी को अच्छी सीटें मिलीं और एक सम्मिलित सरकार बनी। परन्तु कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण जल्दी ही इसका पतन हो गया। इस पार्टी की नेता मायावती ने सत्ता पाने के लालच में दलितों की घोर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से समझौता करके मुख्य मंत्री की कुर्सी हथिया ली परन्तु बाबा साहेब के मिशन और सिद्धांतों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी। इस के बाद पार्टी ने दो बार फिर भाजपा से गठबंधन किया और सत्ता सुख भोगा और अब अपने पतन की ओर अग्रसर है। इस पार्टी ने अवसरवादी, ब्राह्मणवादी, माफियायों और पूंजीपति तत्वों को पार्टी में शामिल करके दलितों को मायूस किया और उन्हें राज्य से मिलने वाले कल्याणकारी लाभों से वंचित कर दिया। इस के नेतृत्व के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, तानाशाही और अदूरदर्शिता से बाबा

साहेब के नाम पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बनी एकता छिन्न– भिन्न हो गयी है। आज दलितों का एक बड़ा हिस्सा इस पार्टी से टूट कर हिन्दुत्ववादी भाजपा के साथ चला गया है। दलितों की एक प्रमुख जाति चमारध्जाटव को छोड़ कर दलितों की शेष उपजातियां अधिकतर भाजपा की तरफ चली गयी हैं। भाजपा इन जातियों का इस्तेमाल दलितों और मुसलामानों के बीच टकराव करवाने के लिए कर रही है। इस से हिंदुत्व मजबूत हो रहा है और बहुसंख्यकवाद उग्र होता जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन से एक बात बहुत स्पष्ट है कि डॉ। आंबेडकर जाति की राजनीति के कतई पक्षधर नहीं थे क्योंकि इस से जाति मजबूत होती है। इस से हिंदुत्व मजबूत होता है जो कि जाति व्यवस्था की उपज है। डॉ। आंबेडकर का लक्ष्य तो जाति का विनाश करके भारत में जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना था। डॉ। आंबेडकर ने जो भी राजनैतिक पार्टियाँ बनायीं वे जातिगत पार्टियाँ नहीं थीं क्योंकि उन के लक्ष्य और उद्देश्य व्यापक थे। यह बात सही है कि उनके केंद्र में दलित थे परन्तु उन के कार्यक्रम व्यापक और जाति निरपेक्ष थे। वे सभी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए थे। इसी लिए जब तक उन द्वारा स्थापित की गयी पार्टी आरपीआई उन के सिद्धांतों और एजंडा पर चलती रही तब तक वह दलितों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में सफल रही। जब तक उन में आन्तरिक लोकतंत्र रहा और वे जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही तब तक वह फलती फूलती रही। जैसे ही वह व्यक्तिवादी और जातिवादी राजनीति के चंगुल में पड़ी उसका पतन हो गया।

अतः यदि वर्तमान में विघटित दलित राजनीति को पुनर्जीवित करना है तो दलितों को जातिवादी राजनीति से निकल कर व्यापक मुद्दों की राजनीति को अपनाना होगा। जाति के नाम पर राजनीति करके व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि करने वाले नेताओं से मुक्त होना होगा। उन्हें यह जानना चाहिए कि जाति की राजनीति जाति के नायकों की व्यक्ति पूजा को मान्यता देती है और तानाशाही को बढ़ावा देती है। जाति की राजनीति में नेता प्रमुख हो जाते हैं और मुद्दे गौण। अब तक के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि जाति की राजनीति से जाति टकराव और जाति स्पर्धा बढ़ती है जो कि जातियों की एकता में बाधक है। इसी के परिणामस्वरूप दलितों की कई छोटी उपजातियां बड़ी उपजातियों से प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी दुश्मन हिन्दुत्ववादी पार्टियों से जा मिली हैं जो कि दलित एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अतः इस खतरे के सम्मुख यह आवश्यक है कि दलित वर्ग अपनी राजनैतिक पार्टियों और राजनेताओं का पुनर्मूल्यांकन करे और जाति की विघटनकारी राजनीति को नकार कर

जनवादी, प्रगतिशील और मुद्दा आधारित राजनीति का अनुसरण करे जैसा कि डॉ। आंबेडकर की अपेक्षा थी।

अम्बेडकरवाद एक मिशन

डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस समाज को देखा और जीया वह त्रासदमय रहा। समाज विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय तथा धर्म में बँटा हुआ था तथा लोग एक–दूसरे को हेय दृष्टि से देखते थे। विकास करने के चक्कर में पड़कर सामाजिक ठेलमठेल हो रहा था; फलस्वरुप, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सरेआम शिक्षा, स्वास्थ्य, शील का पतन हो रहा था। धर्म के जगह पर आडम्बर ने स्थान ले लिया था और कल्पना के गोद में लोग सुखद स्वप्न देख रहे थे, मानो यही जीवन का सार हो; जो मिथ्या था। समाज–व्यवस्था चरमरा गया था। ऐसी परिथिति में सुख और विकास दूर की कौड़ी लग रहा था। तब अम्बेडकर ने दलित, शोषित लोगों के लिए समाज में उचित स्थान दिलाने हेतु एक मुहिम चलाया। जिसके लिए शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया और कहा कि सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्यगत, शीलता का ह्रास आदि विषमता का मूल कारण अनपढ़ होना है, अशिक्षित होना है। इसका प्रभाव व्यक्ति, घर, परिवार, समाज, देश पर सीधा पड़ता है। बाबा जी का मिशन कोई जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म तक नहीं, वरन् बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर आधारित है। परन्तु कुछ स्वार्थियों ने इसे भारत के मूल निवासियों को गुमराह करते हुए जाति, सम्प्रदाय, धर्म से जोड़कर साहित्य के माध्यम से शारीरिक व मानसिक शोषण किया। अतः तत्कालीन साहित्य में पढ़ने–लिखने को अलौकिक अर्थात भगवान या ईश्वर द्वारा आदेश बताकर इन अधिकारों से दलित, शोषित वर्गों को हमेशा षड़यंत्र के तहत दूर रखा गया। इन्हीं कारण सामान्य जनता अनपढ़ होकर भीरुता से एवं साक्षर होकर तथाकथित उच्चवर्गीय ज्ञानियों के भॅवरजाल में फॅसे रहे। जो विकास में सबसे बड़ा बाधक सिध्द हुआ और देश गुलाम रहा। इसी तरह के दूषित परिवेश को ठीक करने के लिए बाबा जी ने कार्य किया। जिससे देश और समाज में सद्भावना व एकता बनीं रहे।

आज देश में आजादी के बाद भी इस मुहिम अथवा अभियान के लिए इन वर्गों के बीच जन आन्दोलन की आवश्यकता है। जिससे हजार वर्षों के शोषण से मुक्ति मिले और लोगों का समुचित व समन्वित विकास समय अनुरुप हो सके। इसके लिए निम्नवत् प्रावधान हो–

1। संविधान में विशेष दर्जा हो।

2। पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों के साथ कठोरता से कार्यवाही किया जाय।

3। संवैधानिक प्रावधान तथा योजनाओं की जानकारी लाभार्थी तक

समय पर पहुँचाने की जिम्मेदारी संबंधित नेता, अधिकारी/कर्मचारी को दिया जाय।

4। आरक्षितों को किसी भी कार्य, जो कर्त्तव्य से परे हो, को करने के लिए बाध्य न किया जाय और न ही उकसाया जाय। इसके लिए सतत् निगरानी की जरुरत ळें

5। शासकीय सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशनादि समय पर मिले, इसकी विशेष ध्यान रखा जाय।

6। सार्वजनिक स्थलों पर, किसी भी तरह से अहैतुक शब्द, कार्य, व्यवहार न किया जाय। जिससे किसी भी प्रकार से अपमान या हानि होती हो।

7। कार्य में अनावश्यक गतिरोध न हो। जिससे आरक्षित वर्गों के भविष्य प्रभावित होता हो।

8। शासकीय और सार्वजनिक जगहों में, संस्थाओं, निगमों, विभागों, होटल, रेस्त्रां आदि में किसी भी तरह से भेदभाव हो।

9। संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना सुनिश्चित किया जाय।

10। शिक्षा का समुचित व्यवस्था हो।

11। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका में समान भगीदारी सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

आज 21 वीं सदी में जिसे विज्ञान का युग कहा जा रहा हो, तब ज्ञान के सही स्वरुप का परिज्ञान व प्रचार–प्रसार का होना भी अनिवार्य हो जाता है। जिससे सत्य का बोध सुगम तथा सर्वजनिन हो सके। सुख का आधार दुःख है, तब दुःख को समझने के लिए सत्य का ज्ञान होना ही चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जैसे पवित्र स्थानों को दूषित करने का श्रेय इनके नियंताओ को ही जाता है। संत, भक्त, ज्ञानी, महात्मा, जोगी–जती, संन्यासी सबके सब स्वार्थी हो, ज्ञान का विभाजन व वर्गीकरण किया। तथा भगवान/ईश्वर जैसे पदनाम को भी जीविकोपार्जन के लिए हथिया लिया और अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए जाति, वर्ग, सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर समाज को समनांतर के बजाय उर्ध्वाधर बॉटने का काम किया। जो आज भी जारी है– ये ऐसा दाग है जिससे मानवता कलंकित हा`ता रहा है, एक ऐसा

ज़हर है जिससे सम्प ूर्ण सृष्टि एक दिन गल जायेगा। आज साहित्य, दर्शन, धार्मिक कृत्य व व्यवहार आदि में कल्पना व रुि ि ढि वादिता के कारण विकासात्मक बदलाव नहीं हो पा रहा है। तथा पाखण्ड, दिखावा, और आडम्बर में गुमराह हो, हम ज्ञान–विज्ञान के साधनों, अविष्कारों, भौतिक संसाधनों का पुरातन मोह वश नई व ैज्ञानिक सोच के साथ अंतरू संबंध बिठाने में असमर्थ हैं। डा ॅ। अम्बेडकर ने सामाजिक सद्भावना के लिए वर्तमान में व्याप्त इन्हीं भेदभाव को घातक मानते हुए सदैव समाज के नीचे दबे एवं कुचले लोगों को ध्यान में रखकर कार्य करते हुए, संवैधानिक व्यवस्था दिया कि राज्य के सामने कोई भी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं, परन्तु वर्तमान में व्याप्त भेदभाव को जो कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सा ॅस्कृतिक रुप आदि में व्याप्त है, पूर्ण समाप्त हो, समाज में समानता, समरसता, समन्वय न हो जाय, तब तक आरक्षण मिलता रहे। उन्होंने राजनैतिक एकता अर्थात आजादी के लिए सामाजिक व धार्मिक एकता व समानता को अनिवार्य मानते थे। जिससे आर्थिक सम्पन्नता आ सके। सामयिक संदर्भ में जब राजपद के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद नीति का वर्चस्व होता जा रहा हो। अम्बेडकर का मिशन अपरिहार्य और प्रासांगिक हो जाता है। अम्बेडकर की नीति अर्थात शिक्षा को जब तक मुख्य धारा में नहीं लाया जायेगा, तब तक समाज में समता, शांति, सौहार्द्र एवं संपन्नता नहीं आ पायेगा और विकास एक कोरी कल्पना होगी।

संदर्भ

1. डा ॅ भीमराव अम्बेडकर : व्यक्तित्व के कुछ पहलू – मोहन सिंह
2. डा ॅ बाबा साहेब अम्बेडकर – वसंत मून
3. डा ॅ भीमराव अम्बेडकर – आबिद रिजवी
4. अछूत कौन और कैसे – डा ॅ भीमराव अम्बेडकर
5. क्या कहते हैं दलितो के मसीहा – कमलाकांत
6. जाति भेद का उच्छेद – डा ॅ भीमराव अम्बेडकर
7. हिन्दू धर्म की पह ेलिया – डा ॅ भीमराव अम्बेडकर
8. अम्बेडकर और ओशो – आचार्य स्वामी ध्यान संदेश, 2014।
9. गुलामगिरी – महात्मा ज्योतिबा फूले,
10. नागपुर का धम्मोपदेश – बाबा साहेब अम्बेडकर

11. डा ॅ अम्बेडकर का पत्र – भागीरथ
12. हिन्दू धर्म की रिडलस् –डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर